न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 60/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांक : 26.07.2024
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सीताराम पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 02.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 07/2024 बउनवान सीताराम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा को ग्राम मऊ के आराजी खसरा संख्या 1020 रकबा 0.52 है0 भूमि किस्म बारानी पर सम्वत 2080 में अतिक्रमण कर फसल गेहूं, चना, बगीचा काश्त करने पर अपीलार्थी को 468/– रूपये शास्ति से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने का निर्णय दिनांक 16.01.2024 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा पेश करने पर निर्णय दिनांक 27.05.2024 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई।

2. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। ग्राम मऊ की खसरा सं0 1020 रकबा 0.60 है भूमि है, जिस पर अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का कब्जा पिछले 30 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है तथा अपीलार्थी प्रतिवर्ष जुर्माना जमा करता आ रहा है। उक्त आराजी के संबंध में अपीलार्थी कि ओर से एक दावा 88, 89, 90, 91, 92 एवं धारा 188 आर.टी.एक्ट का उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के यहां पर वर्ष 2017 से पेश किया हुआ है, जिसमें राजस्थान सरकार जरिये मांगरोल को भी पक्षकार बनाया हुआ है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजी पर पेड़ लगा रखे हैं। अपीलार्थी के हिस्से में मात्र 6 बीघा भूमि आती है, अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता है तथा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। विवादित भूमि अपीलार्थी की भूमि खसरा सं0 1019 से लगी हुई है, इस कारण उक्त भूमि के नियमन का प्रथम हक भी अपीलार्थी का बनता है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण नायब तहसीलदार को नियमन कमेटी के समक्ष नियमन हेतु भेजना चाहिए था, किंतु उन्होने ऐसा न करके उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो सरासर निरस्त होने योग्य हैं। न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल ने निर्णय से पूर्व प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नहीं किये तथा ना ही कोई साक्ष्य लिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी की अपील स्वीकार करके बेदखली का आदेश निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी एक भूमिहीन काश्तकार है, जिसका प्रकरण उप जिला कलक्टर, मांगरोल के यहां जैरकार है। इस कारण जब तक नियमन कमेटी की बैठक नहीं होती है, तब तक अपीलार्थी को भूमि से बेदखल न किया जावे तथा अपीलार्थी के द्वारा लगाये गये पेड़–पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जावे। अपीलार्थी द्वारा शास्ति की रकम जमा करा दी गई है, इसके बावजूद भी अपीलार्थी की अपील खारिज की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा पिछले 30 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है तथा अपीलार्थी प्रतिवर्ष जुर्माना जमा करता आ रहा है। उक्त आराजी के संबंध में अपीलार्थी के ओर से एक दावा 88, 89, 90, 91, 92 एवं धारा 188 आर.टी.एक्ट का उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के यहां पर वर्ष 2017 से पेश किया हुआ है, जिसमें राजस्थान सरकार जरिये मांगरोल को भी पक्षकार बनाया हुआ है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आराजी पर पेड़ लगा रखे हैं। अपीलार्थी के हिस्से में मात्र 6 बीघा भूमि आती है, अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता है तथा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। विवादित भूमि अपीलार्थी की

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

भूमि खसरा सं0 1019 से लगी हुई है, इस कारण उक्त भूमि के नियमन का प्रथम हक भी अपीलार्थी का बनता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी की अपील स्वीकार करके बेदखली का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी एक भूमिहीन काश्तकार है, जिसका प्रकरण उप जिला कलक्टर, मांगरोल के यहां जैरकार है। अपीलार्थी द्वारा शास्ति की रकम जमा करा दी गई है, इसके बावजूद भी अपीलार्थी की अपील खारिज की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल के यहां पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि सीताराम पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी मऊ ने सम्वत 2080 में ग्राम मऊ की आराजी खसरा सं0 1020 रकबा 0.60 है0 भूमि किस्म बारानी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल गेहूं, चना, बगीचा काश्त की गई है। उक्त रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण सं0 84/2024 दर्ज किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। इसके उपरांत प्रकरण में दिनांक 16.01.2014 को उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किया गया, जो स्वयं अपीलार्थी को तामील होना प्रकट होता है। किंतु बावजूद सूचना के अपीलार्थी के द्वारा उक्त नोटिस के संबंध में कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किये जाने से तथा अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी को 468/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर से बेदखल किये जाने का निर्णय दिनांक 16.01.2024 पारित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के निर्णय दिनांक 16.01.2024 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होना मानते हुए निर्णय दिनांक 27.05.2024 से अपील खारिज की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के प्रकरण संख्या 84/2024 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2024 को यथावत रखा गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विवेचन किया जाना उचित प्रकट होता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 114/2020 बउनवान सीताराम बनाम सरकार में अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 27.05.2019 के विरूद्ध अपील पेश की गई, जिसके अनुसार अपीलार्थी सीताराम

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के प्रकरण संख्या 28/2018 निर्णय दिनांक 12.10.2018 से ग्राम मऊ की आराजी खसरा सं0 1020 रकबा 0.52 है से बेदखल किया जाकर शास्ति 468/– रूपये एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रकरण सं0 99/2018 बउनवान सीताराम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 में न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल का निर्णय दिनांक 12.10.2018 में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होना जाहिर करते हुए अपील खारिज की गई। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के आदतन राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होना प्रकट होता है। जिसकी पुष्टि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 अन्तर्गत दर्ज उपरोक्त विवेचित प्रकरणों से होती है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और न हीं न्यायालय हाजा में पूर्व के धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा